जस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-71

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 309] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 17, 1985/आषाढ़ 26, 1907
No. 309] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 17, 1985/ASADHA 26, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

"शुद्धि पत्र"

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 85

सा०का०नि० 587(अ) :—भारत सरकार के राजपत्र (असाधारण) भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (i) तारीख 23 मार्च, 1985 के पृष्ठ 1—6 पर प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की

अधिसूचना सं० सा०का०नि० 293 (अ) दिनांक 23 मार्च, 1985 में, पृष्ठ 2 पर—नियम 8, उप नियम (3) में,

"1. नमूने की क्रम सं० अंक और शब्दों के स्थान पर
1. स्थानीय (स्वास्थ्य)"—

शब्दों व अंकों के स्थान पर,

"1. नमूने की क्रम सं० अंक और शब्दों के स्थान पर
"1. स्थानीय (स्वास्थ्य)" —शब्द और अंक पढ़ें ।

[संख्या पी० 15014/4/83-पी०एच० (एफ०एण्डएन०) पी०एफ०ए०]

एस०वी०सुब्रामणियन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th July, 1985

G.S.R. 587(E).—In the notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) G.S.R. 293(E) dated the 23rd March 1985, published at pages 1—6 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) dated the 23rd March, 1985.

(1) at page 4, in the proviso in clause 6, read the word "covered" for the word "coverdc".

[No. P. 15014/4/83-PH(F&N) Vol-II]

S. V. SUBRAMANYAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985